न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तगण

1. युवराज पुत्र श्री शम्भूसिंह राजपूत, विक्रेता/प्रतिनिधि, मैसर्सः– श्री अन्नापूर्णा रसोई, अम्बेडकर भवन के पास, पिण्डवाडा, जिला–सिरोही
2. श्रीमती रुप कंवर, मालिक, मैसर्स रुद्रा एण्ड कम्पनी, श्री अन्नापूर्णा रसोई, अम्बेड़कर भवन के पास, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही

पताः मैसर्स रुद्रा एण्ड कम्पनी, सेलेब्रेशन मॉल, जी–1, सेलेब्रेशन रेजीडेन्स्
सुखेर भुवाना, जी.एस.एस. के सामने, उदयपुर (राज.)

F.S.S.Act Case No.27/2025

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

अधिवक्ता श्री प्रफुल माली, प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 05 दिसम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्तगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह द्वारा दिनांक 20–9–2024 को मैसर्सः– श्री अन्नापूर्णा रसोई, अम्बेडकर भवन, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी युवराज सिंह पुत्र श्री शम्भुसिंह राजपूत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिक्स आचार (सरसों तेल में बना) का नमूना संख्या S-2399, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1319/Act/2024/1365 दिनांक 08–10–2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्तगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रफुल माली उपस्थित हुये, लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत नही करने से जबाव बन्द किया गया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 05–12–2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री माली ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि श्री दिलीप सिंह, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री अन्नापूर्ण रसोई, अम्बेडकर भवन के पास, पिण्ड़वाडा में प्रतिवादी युवराज पुत्र शम्भूसिंह राजपूत से खाद्य पदार्थ मिक्स आचार (सरसो तेल से बना) को क्रय करने की कार्यवाही विधि अनुरुप नही की गई है तथा नमूनें को सुरक्षित रखने के लिये कोई पदार्थ नमूनें में नही मिलाया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाली प्रपत्रों पर प्रतिवादी शम्भूसिंह के हस्ताक्षर करवाये है। नमूनें को टेम्परविथ करके जांच हेतु भिजवाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन में अंकित कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

(4) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 20—9—2024 को 12—30 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स श्री अन्नापूर्णा रसोई, अम्बेडर भवन के पास, पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही पर गये। श्री अन्नापूर्णा रसोई, अम्बेडकर भवन के पास, पिण्ड़वाडा में प्रतिनिधि/विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी युवराज पुत्र शम्भुसिंह उपस्थित मिले। श्री दिलीप सिंह, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री अन्नापूर्णा रसोई, अम्बेडकर भवन के पास, पिण्ड़वाडा के निरीक्षण के दौरान श्री अन्नापूर्णा रसोई के रसोई भण्डार में एक बडे प्लास्टिक ड्रम में खाद्य पदार्थ मिक्स आचार (सरसो तेल में बना) (लगभग 15 किलोग्राम) आमजन के खाद्य सामग्री में उपयोग हेतु रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी युवराज पुत्र शम्भूसिंह राजपूत को गवाह के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह ने उक्त श्री अन्नापूर्णा रसोई, अम्बेडकर भवन के पास, पिण्ड़वाडा के रसोई भण्ड़ार में एक प्लास्टिक के ड्रम में रखे हुए लगभग 15 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मिक्स आचार (सरसो तेल में बना) में से 02 (दो) किलोग्राम मिक्स आचार (सरसो तेल में बना) को एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 200/— (रुपये दो सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता युवराज पुत्र शम्भूसिंह राजपूत को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा, 02 (दो) किलोग्राम मिक्स आचार (सरसों तेल में बना) को प्रतिवादी विक्रेता, युवराज पुत्र शम्भुसिंह राजपूत व गवाह के समक्ष हिलामिलाकर एकरुप कर चार साफ, सूखी व खाली बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2399, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ मिक्स आचार (सरसो तेल में बना) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी युवराज पुत्र शम्भूसिंह व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीपसिंह ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीपसिंह ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिक्स आचार (सरसो तेल मे बना) की चारों नमूना बोतलों पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा मिक्स आचार (सरसो तेल में बना) की चारों नमूना बोतलों को अलग—अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूने को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता युवराज पुत्र शम्भूसिंह राजपूत तथा गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता युवराज पुत्र शम्भूसिंह राजपूत व गवाह तथा श्री दिलीप सिंह, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो—दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह ने दिनांक 25—9—2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के

......पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 20—9—2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह द्वारा मैसर्सः— श्री अन्नापूर्णा रसोई, अम्बेड़कर भवन के पास, पिण्डवाडा, जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता युवराज पुत्र शम्भूसिंह राजपूत से खाद्य पदार्थ मिक्स आचार (सरसों तेल में बना) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ मिक्स आचार (सरसों तेल में बना) के नमूना संख्या S-2399 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1319/Act/2024/1365 दिनांक 08—10—2024 में खाद्य पदार्थ मिक्स आचार (सरसों तेल मे बना) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मैसर्स रुद्रा एण्ड कम्पनी द्वारा संचालित श्री अन्नापूर्णा रसोई, अम्बेडकर भवन के पास, पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही में उक्त कम्पनी के प्रतिनिधि/विक्रेता, प्रतिवादी युवराज पुत्र श्री शम्भुसिंह राजपूत द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिक्स आचार (सरसों तेल में बना) का विक्रय किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स रुद्रा एण्ड कम्पनी की प्रोपराईटर/मालिक, प्रतिवादी रुप कंवर (प्रतिवादी संख्याः 2) है एवं जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में मैसर्स रुद्रा एण्ड कम्पनी का पता, सेलेब्रेशन मॉल, जी—1, सेलेब्रेशन रेजीडेन्स् सुखेर भुवाना, जी.एस.एस. के सामने, उदयपुर (राज.) अंकित है। चूंकि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी रुप कंवर की प्रोपराईटरी फर्म, मैसर्स रुद्रा एण्ड कम्पनी द्वारा संचालित, श्री अन्नापूर्णा रसोई, अम्बेडकर भवन के पास, सिरोही में उक्त कम्पनी के प्रतिनिधि/विक्रेता द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिक्स आचार (सरसों तेल में बना) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिक्स आचार (सरसों तेल से बना) (नमूना संख्या S-2399) के विक्रय हेतु प्रतिवादी श्रीमती रुप कंवर, प्रोपराईटर/मालिक, मैसर्स रुद्रा एण्ड कम्पनी, श्री अन्नापूर्णा रसोई, अम्बेडकर भवन के पास, पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही, मुख्य पताः मैसर्स रुद्रा एण्ड कम्पनी, सेलेब्रेशन मॉल, जी—1, सेलेब्रेशन रेजीडेन्स् सुखेर भुवाना, जी.एस.एस. के सामने, उदयपुर (राज.) पर राशि रुपये 25,000/— (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी श्रीमती रुप कंवर, मालिक/प्रोपराईटर, मैसर्स रुद्रा एण्ड कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही